न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 16 / 2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018 / 00048

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. अणचाई पत्नी भंवरलाल जी, 2. रामलाल पुत्र कानाराम जी 3. चम्पालाल पुत्र कानाराम जी 4. पांचीदेवी पत्नी भाकरराम जी 5. ओमप्रकाश पुत्र भाकरराम जी 6. राजूराम पुत्र भाकरराम जी तमाम जाति कुमावत, निवासीगण– निमाज, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत निमाज जरिये सरपंच ग्राम पंचायत निमाज जैतारण जिला पाली (राज.) 2. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत निमाज पंचायत समिति जैतारण जिला पाली (राज.)। 3. नेमीचन्द पुत्र चम्पालाल जी। सभी जाति कलाल, निवासी–ग्राम निमाज तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया
अप्रार्थी की ओर से चन्द्रप्रकाश वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 18-10-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत निमाज की मिसल संख्या 321 ए / 1971–72 में पारित आज्ञा दिनांक 23.1.1972 एवं प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 23.1.1972 की पालना में पारित पट्टा संख्या 20 के विरूद्ध प्रस्तुत कर उसे निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर जाकर ग्राम पंचायत निमाज का जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस सुनी गई।

वक्त बहस आवाजें लगाने के उपरान्त भी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए तो प्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निगरानी के गुणावगुण पर निर्णय हेतु बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अनुसार ग्राम निमाज तहसीलदार जैतारण में प्रार्थी के पिता व प्रपिता ताराराम वल्द अखाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमी खसरा नंबर 751 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही दोयम स्थित है। उसमें से 2 बीघा भूमी अप्रार्थी के पिता भंवरलाल, मोहनलाल, चम्पालाल पुत्र गणेशमल जाति कलाल निवासी निमाज को दिनांक 13.10.1959 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचाण की गई। जो प्रार्थी के पूर्वज ताराजी द्वारा अप्रार्थी के पूर्वज भंवरलालजी वगैरा को बेचाण की। जिसका रकबा 2 बीघा कुल क्षेत्रफल 34,848 वर्ग फिट भूमी बनती है। उक्त भूमी के पास आबादी भूमी नहीं है। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 28.10.1959 को स्वीकृत हुआ। अप्रार्थी क्रेता द्वारा अपनी क्रय की गई भूमी को राज्य सरकार के आदेश से किस्म परिवर्तन कर आबादी दर्ज कराने की कार्यवाही की जिसका नामान्तरकरण आबादी में दर्ज हुआ। बाद बेचाण खसरा नंबर 751 में अप्रार्थी को बेचाण की गई भूमी के बाद 22 बीघा 15 बिस्वा है। उसमें से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमी अप्रार्थीगण ने भंवरलाल पुत्र लालाराम माली निवासी जैतारण को जरिये विक्रय विलेख कि गई। 12.2.1996 के बेचाण हस्तान्तरण की तथा प्रार्थी के पास 20 बीघा 13 बिस्वा भूमी शेष रही जिसके खसरा नंबर 751 / 3 आबादी से दर्ज हुआ। 751 खसरा नंबर में से 6 बिस्वा भूमी राज्य सरकार द्वारा सड़क सीमा में आवाप्त की गई जिसके खसरा नंबर 751 / 2 [illegible]ल्यूडी के खाते में दर्ज है। खसरा नंबर 751 / 1 रकबा 2 बीघा गैर [illegible] भंवरलाल, नथमल, उषा पिसरान मोहनलाल, भंवरी दे[illegible] पुत्र चम्पालाल , गोदावरी पत्नी चम्पालाल कलाल [illegible] के नाम जमाबंदी व[illegible] 72 में दर्ज थी। तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमी व[illegible]धपुर, जयपुर हाईवे [illegible] 12 के मध्य कोई आबादी भूमी स्थित नहीं है । अप्रार्थी द्वारा भूमी खरीद के बाद आबादी में दर्ज कराने के बाद ग्राम पंचायत से अपनी भूमी का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश

क्रमश....................2

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:52 IST
Reason: SelfAttested

किया जिस पर जैर निगरानी पट्टा 1971–72 में मिसल संख्या 321 ए दर्ज कर पंचायत नियम 266 के तहत कार्यवाही कर अप्रार्थी नथमल के पिता मोहनलाल पुत्र गणेशमल व नथमल पुत्र मोहनलाल के हक में प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 23.1.1972 को पारित करते हुए पट्टा नंबर 20 जारी किया जो खसरा नंबर 751/1 में जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा 5527 वर्गगज का पट्टा जारी किया उक्त पट्टा 26.1.1972 को जारी किया उक्त पट्टे की आड़ में अप्रार्थी नथमल प्रार्थी की खातेदारी भूमी पर जबरन कब्जा करना चाहते है एवं प्रार्थी की भूमी को हड़पना चाहता है। इस कारण यह निगरानी निम्न आधारों पर पेश की है:–

ग्राम पंचायत निमाज द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमी पर जैर निगरानी आज्ञा व प्रस्ताव एवं पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है उक्त पट्टा तत्कालीन सरपंच से मिलावट कर नियम 266 के तहत प्राप्त कर लिया है जो निरस्त योग्य है।

ग्राम पंचायत 266 के तहत अपनी आबादी भूमी का ही बेचाण हस्तान्तरण कर सकती है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपनी 2 बीघा भूमी यदि 34846 वर्गफुट भूमी का बेचाण श्री मोहनलाल व चम्पालाल को किया था तथा आबादी में भी 2 बीघा भूमी ही दर्ज है नियम 266 के तहत ग्राम पंचायत अपनी आबादी भूमी पुराने बने आवास गृह को ही बेचाण कर सकती है जिस पर 40–50 वर्ष से कब्जा हो या निवास हो लेकिन जैर निगरानी भूमी खातेदारी थी एवं खातेदारी को आबादी भूमी करवाया गया था ग्राम पंचायत द्वारा नियम 258 से लेकर 265 तक की कार्यवाही विधी अनुसार नहीं की गई। आवेदक का आवेदन पत्र, नक्शा फीस व ग्राम सेवक का नक्शा तथा 3 वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट एवं आपत्तिया आमंत्रित करने की सूचना पत्र तथा गवाहों के बयानात मिसल पर नहीं लिए गए है इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। एवं ग्राम पंचायत द्वारा 5527.50 वर्गगज अर्थात दोनों पट्टा 44220 वर्गफुट का पट्टा जारी कर दिया जो नियम विरूद्ध होने से पट्टा खारिज योग्य है। 2 बीघा भूमी यदि 34848 वर्गफीट भूमी ही बेचाण की गई थी एवं पट्टा 44220 वर्गफीट भूमी अर्थात 9372 वर्गफीट ज्यादा का जारी कर दिया जो विधीसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत ने आबादी भूमी के अलावा प्रार्थीगण की कृषि भूमी पर पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त फरमाया जावे। पट्टा के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 23.1.1972 रेकर्ड में नहीं होने से भी पट्टा निरस्त योग्य है। अप्रार्थी नथमल नाबालिग था जिसके नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता न ही 40–50 वर्षों से पूर्व का जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का रहवास ही था इस आधार पर भी पट्टा निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमी का पट्टा जारी किया गया है खातेदारी भूमी में पट्टा जारी किए जाने का उल्लेख कहीं भी पट्टा या पत्रावली पर नहीं है जिसमें यह सिद्ध नहीं होता कि पट्टा गैर आबादी भूमी में जारी किया गया है जमाबन्दी की पत्रावली संलग्न फोटोप्रतियों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की मिसल नहीं है तथा मिसल नहीं होने से होने से ग्राम पंचायत नियमों की पालना नहीं की गई यह कहना विधिसम्मत नहीं हैं पट्टे पर मिसल संख्या 321ए/1971–72 अंकित है तथा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 23.1.1971 अंकित है। इससे स्पष्ट है कि मिसल कायम की गई थी एवं प्रस्ताव भी पारित किया गया था। रेकर्ड नहीं होने के लिए अप्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता है। वकील अप्रार्थी का कथन की पट्टा नाप में अधिक भूमी का जारी किया गया है जो गलत है पट्टे पर अंकित नाप अनुसार पट्टा आराजी का नाप 67 फिट गुणा 82.5 फिट है जो कुल 5527.5 वर्गफीट ही होता है तथा दो पट्टो का नाप 4422[illegible] पैमाना पट्टा के उपर अंकित है जो प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है इ[illegible] अधिक नाप की भूमी का पट्टा बना दिया है यह कथन ग[illegible] लालजी द्वारा क्रय की गई थी। इसलिए नियम 2[illegible] गया है अप्रार्थी का नाम नेमीचंद है एवं निगरानी प्रार्थना पत्र में नथमल के [illegible]म से पट्टा जारी होना लिखा है जो विधीसम्मत नहीं है नथमल के नाम से किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। जो फोटोप्रति से स्पष्ट है। उपरोक्त सभी तथ्यों के परिणामस्वरूप निगरानी खारिज फरमाई जाकर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................3

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस निगरानी में विचारण योग्य निम्न बिन्दु है :–

1. क्या पट्टा गैर आबादी भूमी में जारी किया गया है ?
2. क्या पट्टा नियमानुसार नियम 266 की पालना करते हुए जारी किया गया है ?
3. पट्टा का नाप 5527 वर्गगज का पट्टा जारी किया जाना वर्ष 1972 में अनुमत था ?
4. क्या पट्टा धारक नाबालिग था ?

1. पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात से यह सिद्ध नहीं होता कि जैर निगरानी पट्टा गैर आबादी भूमी में जारी किया गया है वकील प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि पट्टा गैर आबादी भूमी में जारी किया गया है। इस बाबत एक लिखित बेचाण की फोटोप्रति भी पेश की है जो अनरजिस्टर्ड है। तथा मौका रिपोर्ट भी पेश की गई है जिस पर किसी क हस्ताक्षर नहीं है न ही प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में उन्हें सही विधिसम्मत आधार पर गैर आबादी भूमी में पट्टा जारी करने का नहीं माना जा सकता है।
2. जैर निगरानी पट्टा दो व्यक्तियों चम्पालाल पुत्र गणेशमल एवं नेमीचन्द पुत्र श्री चम्पालाल जाति टाक निवासी निमाज के नाम जारी सुदा है लेकिन निगरानी एक ही व्यक्ति नेमीचन्द पुत्र चम्पालाल जाति टॉक (कलाल) निवासी निमाज के नाम पेश की गई है जो विधिसम्मत नही है। तथा नियम 266 तक की पालना करते हुए पट्टा जारी किया गया है या नहीं यह पत्रावली संख्या 321 ए पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होने से राजस्थान पंचायत राज नियम 266 तक नियमों की पालना की गई अथवा नहीं यह नहीं सिद्ध किया जा सकता है न ही इस तथ्य का बिना पत्रावली के परिक्षण ही किया जा सकता है अर्थात प्रार्थी अपनी निगरानी में राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई है यह तथ्य सिद्ध करने में भी असफल रहा है।
3. पट्टा 1972 में राजस्थान पंचायत राज नियम 1961 में पट्टा 5527 वर्गफीट तक का जारी किया जाना अनुमत था जिसकी एक प्रक्रिया है कि उसकी कीमत को लेकर की जो उपपंजियक की आबादी दर का 1/12 वां व 1/6 वां भाग के राशि प्रभारित कर पट्टा जारी किया जाने का प्रावधान था। जैर निगरानी पट्टे के संदर्भ में पंचायत की पत्रावली (मिसल) के अभाव में यह भी सिद्ध करने में भी वकील प्रार्थी असफल रहे है। कि उक्त पट्टा 5527 वर्ग फीट का जारी करने का अधिकार पंचायत को नहीं था।
4. वकील प्रार्थी ने वक्त बहस पट्टा धारा के पट्टा बनाते समय नाबालिग होने का कथन किया है जिसका कोई आधार नहीं बताया है मात्र प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र में ही नाबालिग होने का कथन है किसी लिखित बेचाण अथवा पट्टा में किसी भी पट्टाधारी की उम्र नाबालिग उल्लेखित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी निगरानी व बहस में अप्रार्थीगण के किसी को भी नाबालिग होना सिद्ध नही कर पाये है। न ही प्रस्ताव नहीं लिया गया यह सिद्ध किया गया है। जबकि पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 23.1.1972 लिया जाने का उल्लेख पट्टे में किया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है तथा जैर निगरानी प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 23.1.1972 व मिसल संख्या 321 ए/ 1971–72 में पारित आदेश की पालना में जारी पट्टा सख्या 20 को यथावत [illegible] है।

निर्णय आज दिनांक 18-10 [illegible] मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:52 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)